

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)

प्रकरण संख्या- 43/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक: - 15.06.2021

निर्भयराम पुत्र नवलराम जाट आयु वयस्क निवासी शाहबाद तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

- प्रार्थी

बनाम

1. बापुलाल पिता पृथ्वीराज जाति जाट निवासी शाहबाद तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. मदनलाल पिता घमण्डीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी शाहबाद तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. कमलसिंह पिता वेणीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी शाहबाद तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा०ले०रे० एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा शाहबाद प०ह० बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 38 की आराजी नं० 87 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नं० 94 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं० 95 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नं० 98 रकबा 0.3100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिससे कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/-रु० फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा शाहबाद प०ह० बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 38 की आराजी नं० 87 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नं० 94 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं० 95 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नं० 98 रकबा 0.3100 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 15.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

